बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

:: कार्यालय आदेश ::

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के व्यवसाय अनुदेशक (रिफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग टेक्निशियन) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनके स्थायी अथवा अस्थायी पतों से चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन मूल कोटि के व्यवसाय अनुदेशक के वेतनमान वेतन स्तर–6 (रू0 35,400–83,600) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–6 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित स्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मो0 अली असगर अंसारी	1/B23014907	अनारक्षित (अत्यंत पिछड़े जाति)	पटना	औ0 प्र0 संस्थान, हिलसा, नालंदा	
2	रमेश कुमार पटेल	2/B23014753	अनारक्षित (पिछड़े जाति)	सिवान	औ0 प्र0 संस्थान, बिस्फी, मधुबनी	
3	अफरोज आलम	3/B23008099	अनारक्षित	पटना	औ0 प्र0 संस्थान, आरा, भोजपुर	
4	अमरदीप कुमार	4/ B23011481	अनारक्षित (अत्यंत पिछड़े जाति)	बेगूसराय	औ0 प्र0 संस्थान, जमुई	
5	सत्येन्द्र प्रसाद	5/B23017220	अनारक्षित (अत्यंत पिछड़े जाति)	जहानाबाद	औ0 प्र0 संस्थान, गया	
6	मो0 हसीन अख्तर	6/B23013461	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अनारक्षित)	पटना	औ0 प्र0 संस्थान, कैमूर, भभुआ	
7	सनातन कुमार	7/B23012597	अनुसूचित जाति	बेगूसराय	औ0 प्र0 संस्थान, मढ़ौरा	
8	विकाश कुमार	10/B23015209	अत्यंत पिछड़े जाति	पटना	औ0 प्र0 संस्थान, कल्याणबिगहा, नालंदा	
9	नितीश कुमार	11/B23021799	अत्यंत पिछड़े जाति	लखीसराय	औ0 प्र0 संस्थान, मढ़ौरा, सारण	
10	राजीव रंजन	13/B23017406	पिछड़े वर्ग	कैमूर	औ0 प्र0 संस्थान, सहरसा	

11	राजीव रंजन	8/B23009197	WBC (अनुसूचित जाति)	पटना	औ0 प्र0 संस्थान, नवादा	

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों, शपथ–पत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा, अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें आदि के आधार पर किया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र सहित इन प्रमाण पत्रों की जांच पदस्थापित कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा करायी जायेगी। यदि कोई प्रमाण पत्र या संबंधित कागजात किसी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गई राशि की वसूली के साथ –साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जायेगा।

3. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण एवं संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के आलोक में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

4. सभी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान करते समय कॉलम–7 में वांछित दस्तावेज, जो भी लागू हो के अतिरिक्त निश्चित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा पत्र एवं सिविल सर्जन द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2082, दिनांक–01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे योगदान करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा ।

6. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे पत्र निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर स्तम्भ–6 में अंकित स्थान में योगदान लेंगे। योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। योगदान करने की सूचना नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

7. प्रस्ताव में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुयश वरदान)
उप निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या–टी0–1 / स्था0(6)अनु0–125 / 2024 46 / पटना–15, दिनांक– 03.01.25

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

संख्या— टी—01/स्था (6) अनु0—125/2024— 46/ पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।

टी—01/स्था (6) अनु0—125/2024— 46 / पटना—15, दिनांक—

प्रतिलिपिः— सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक प्रशिक्षण
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष) बिहार, पटना।